कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0/पी0जी0–3/2023/ लखनऊःदिनांक 19 सितम्बर, 2023

यू0पी0 नीट पी0जी0–2023 के अन्तर्गत मॉप–अप राउन्ड के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

यू0पी0 नीट पी0जी0–2023 के मॉप–अप राउण्ड के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश निम्नलिखित हैं:–

1. मॉप–अप राउन्ड में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को रिक्त सीटों के अतिरिक्त Virtual Seats का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। Virtual Seats में प्रदर्शित की गयी सीटें श्रेणी/उपश्रेणी की समस्त रिक्त सीटों का योग है। श्रेणी/उपश्रेणी की सीटों पर आवंटन हेतु अर्ह अभ्यर्थी न मिलने की दशा में श्रेणी/उपश्रेणी की सीटों को यू0पी0 नीट पी0जी0–2023 हेतु जारी शासनादेश संख्या–I/348793/2023 दिनांक 13 जुलाई 2023 के बिंदु 11 एवं यू0पी0 नीट पी0जी0–2023 के ब्रोशर के पृष्ठ 11 एवं 12 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आमेलित (Merge) करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कॉलेजों की अल्पसंख्यक श्रेणी की सीटें यदि आवंटन के पश्चात् रिक्त रह जाती है, तो इन सीटों को अनारक्षित श्रेणी में आमेलित (Merge) करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
3. राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया संबंधित मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय/चिकित्सालय स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
4. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टरों पर सम्पन्न की जायेगी।
5. **मॉप–अप राउण्ड से आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में उनके अर्भ्यथन पर कोई भी विचार नही किया जायेगा।**
6. निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, (Director General, Medical Education & Training, U.P. payble at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, प्रवेश के समय नोडल सेन्टर पर जमा कराना होगा।
7. निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित मेडिकल/डेण्टल कालेज प्रबन्धन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम लिया जात है, तो उसके लिये वह स्वतंत्र है। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क संबंधी शासनादेश तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फी–स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट dgme.up.gov.in एवं upneet.gov.in पर उपलब्ध है।
8. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को कालेज स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराना अनिवार्य है।
9. यू0पी0 नीट पी0जी0–2023 कांउसिलिंग संबंधी सभी सूचनायें वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** एवं ***www.dgme.up.gov.in*** पर अपलोड की जायेगी।

कृते **महानिदेशक**

संख्या–एम0ई0/पीजी0–3/2023/2293 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना वेब–साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

कृते **महानिदेशक**